राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	शकुन्तला बनाम बनवारीलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। रेस्पो. संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति मय जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का पेश किया, जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पर दोनों पक्षों को सुना गया। उद्धरित तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र आपत्ति के माध्यम से उठाई गयी आपत्तियो का निस्तारण गुणावगुण पर प्रकरण के परिक्षण के वक्त किया जाना उचित समझा जाता है। तत्पश्चात अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 04/03/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी	
04/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम हस्तेडा, पटवार हल्का हस्तेडा, भू.अभि.नि. क्षेत्र हस्तेडा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में आराजी हाल खाता संख्या 187 में वर्णित हाल खसरा नम्बर 875 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 876 रकबा 0.08 हैक्टेयर, कुल किता 02 का कुल रकबा 0.14 हैक्टेयर जिनके साबिक खसरा नम्बर 582 व हाल खाता संख्या 188 में वर्णित खसरा नम्बर 1048 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1049 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1052 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1053 रकबा 0.68 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 968 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 972 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 973 रकबा 0.11 हैक्टेयर, कुल किता 7 का कुल रकबा 2.01 हैक्टेयर स्थित है उक्त भूमियों के साबिक खसरा नम्बर 618, 622 रहे है। उक्त भूमियों में प्रतिवादीगण संख्या 15 लगायत 17 का खातेदारी हिस्सा ही प्रस्तुत वाद पत्र में विवादित है। उक्त विवादित आराजीयात नया खाता संख्या 187 में वादी का खातेदारी हिस्सा 1/24 भाग तथा प्रतिवादी संख्या 17 का खातेदारी हिस्सा 1/2 भाग तथा नया खाता संख्या 188 में वादी का खातेदारी हिस्सा 1/36 भाग तथा प्रतिवादी संख्या 15 व 16 का खातेदारी हिस्सा क्रमशः 1/3, 1/3 भाग राजस्व रिकार्ड में दर्ज व अंकित है तथा शेष भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अंकित है। लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 15 लगायत 17 के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 ही अर्सेदराज से काबिज काश्त है तथा अर्सेदराज से काबिज काश्त होकर प्रत्येक प्रकार से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी उपयोग उपभोग कर रहा है व लगान राजस्व अपील प्राधिकारी	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	शकुन्तला बनाम बनवारीलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/8/2025		

सरकारी को अदा करता चला आ रहा है। उक्त भूमियों पर दौराने बंदोबस्त से पूर्व वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वज काबिज चले आ रहे थे लेकिन दौराने बंदोबस्त 2004-2023 से ही प्रतिवादीगण संख्या 15 लगायत 17 का नाम गलत रूप से खातेदारी में दर्ज हो गया जबकि प्रतिवादीगण संख्या 15 ता 17 का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध सरोकार नहीं है, ना ही मौके पर कब्जा काश्त है तथा उक्त भूमियों वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 के हक हिस्से की भूमि के सींव जोड लगती हुई स्थित है। प्रतिवादीगण संख्या 15 लगायत 17 के नाम से उक्त ग्राम में कोई भी खातेदार काश्तकार नहीं है केवल मात्र प्रतिवादीगण संख्या 15 लगायत 17 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दौराने बन्दोबस्त गलत इन्द्राज होने से खातेदारी गलत रूप से नाम दर्ज चली आ रही है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि व प्रतिवादीगण सख्या 15 ता 17 के नाम गलत रूप से दर्ज खातेदारी भूमियों को काफी श्रम कार्यकर काश्त काबिले बनाई तथा भूमि के चारो ओर तारबंदी कर रखी है व बोरिंग कर रखा है, जिसमें विद्युत कनेक्शन लगा रखा है व आराजी में काश्त कर हर प्रकार से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण संख्या 15 ता 17 जिनका वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 की खातेदारी भूमि व कब्जे काश्त की भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध सरोकार नही है, इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण संख्या 15 ता 17 के हक हिस्से भूमि को अन्य भू-माफिया गिरोह के सदस्य जबरिया अतिक्रमण कर हडप करना चाहते है। इस उदेश्य की पूर्ति के लिए आये दिन वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा कारित करते रहते है, आये दिन सींव डोल व तारबंदी को क्षतिग्रस्त कर जबरिया भूमि पर कब्जा करना चाहते है। दिनांक 10.01.2025 को कुछ भू-माफिया अजनबी व्यक्ति मौके पर आये तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित करते हुए जबरिया भूमि पर कब्जा करने प्रयास करने लगे जिस पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 द्वारा अर्सेदराज पूर्व से ही भूमियों पर काबिज काश्त होने व उपयोग उपभोग करने बाबत कहा तो ये लोग उग्र हो गये तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 को ऐलानियां धमकी देकर कहा कि हम प्रतिवादीगण संख्या 15 ता 17 के गलत नाम दर्ज खातेदारी भूमि से तुम्हारा कब्जा काश्त हटाकर भूमि पर जबरिया कब्जा करके रहेंगे तथा तुम्हे मौके से बेदखल करके रहेंगे। उक्त प्रकार से धमकी दिये जाने के कारण वादी को उक्त वाद पत्र पेश करना लाजमी आया है। वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	शकुन्तला बनाम बनवारीलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2181/2025		

अनुतोष चाहा है कि वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती का डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त भूमि नया खाता संख्या 187 में प्रतिवादी संख्या 17 के नाम दर्ज खातेदारी हिस्सा 1/2 भाग व नया खाता संख्या 188 में प्रतिवादी संख्या 15 व 16 के नाम दर्ज खातेदारी हिस्सा क्रमशः 1/3, 1/3 भाग की घोषणा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार की जावें तथा प्रतिवादीगण संख्या 15 लगायत 17 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ करवाते हुए राजस्व रिकॉर्ड इन्द्राज दुरूस्ती की जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्ध किया जावे कि प्रतिवादीगण विवादग्रस्त आराजीयात के वादी के उपयोग उपभोग में बाधा कारित नहीं करें, ना ही वादी को कब्जे से बेदखल करें, ना ही वादी के कब्जे काश्त की भूमि में जबरिया कब्जा करें, ना ही किसी प्रकार निर्माण कार्य करें, ना ही निर्माण सामग्री डालें, ना ही तारबंदी व सींव डोल में तोड-फोड करें, ना ही बेचान, हस्तान्तरण करें, प्रतिवादी संख्या 18 व 19 भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार से रद्दोबदल नहीं करें तथा प्रतिवादी संख्या 20 उक्त भूमियों के संबंध में अपने सम्मुख प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज का पंजीयन नहीं करे। उपरोक्त समस्त कृत्य प्रतिवादीगण ना तो स्वयं करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन के जरिये करवाये अर्थात राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 14 की और से अधिवक्ता उपस्थित आये एवं प्रतिवादी संख्या 15 लगा. 20 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 14 ने जवाब दावा पेश किये जाने के पश्चात साक्ष्य-सबूत पेश किये गये, जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की बहस समायत कर निर्णय व डिक्री दिनांक 15/12/2025 पारित करते हुये वाद डिक्री कर दिया गया | जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी के साथ प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अपीलार्थीयां द्वारा सरसरी तौर पर प्रार्थना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	शकुन्तला बनाम बनवारीलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी में तथ्य अंकित कर ईजाजत अपील का अनुतोष चाहा गया है एवं अपने तथ्यों एवं सजरा ख़ानदान को स्पष्ट करने हेतु अपीलार्थीयां द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तावजे/साक्ष्य पेश नही किया गया है, जिससे की मूल रिकार्डेड खातेदार उनका पूर्वज होना स्पष्ट होता है | ऐसी स्थिति में अपीलार्थीयां का अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार होना स्पष्ट नही होता है, ऐसेमें अपीलार्थीयां प्रभावित एवं व्यथित पक्षकार जाहिर नही होने से उन्हें ईजाजत अपील प्रदान किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक प्रतीत नही होता है | अत: अपीलार्थीयां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी अस्वीकार कर ख़ारिज किया जाता है | फलस्वरूप अपील अपीलार्थीयां संधारणीय नही रह जाने से ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 04/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर